दिनांक 13.07.2018 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार शीर्षक

"खराब मार्केटिंग ने 4 डेयरी संघो के बर्बाद कर दिए रू. 20 करोड"

उपभोक्ताओं के लिऐ नही डीलर्स को फायदा देने के लिए लांच की गई स्कीम जयपुर डेयरी संघ के पास 2050 मैट्रिक टन घी, 14 करोडा का हुआ नुकसान

के क्रम मे टिप्पणी

खबर का विवरण	प्रतिउत्तर
राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की खराब मार्केटिंग से सरस घी की रेट कम करने से चार डेयरी जिला संघो को 20 करोड रूपए का नुकसान होगा।	यह कहना कतई उचित नही है कि खराब मार्केटिंग व सरस घी की रेट कम करने से चार डेयरी जिला संघो को 20 करोड रूपए का नुकसान होगा।
हालांकि समय रहते अगर अफसर घी को मार्केट मे खपा देते और डीलर्स पर सख्ती करते तो संघो को नुकसान से बचाया जा सकता था।	दरों मे उतार चढाव का निर्णय एक व्यापारिक निर्णय होता है। घी की विक्रय दरे निर्धारण के समय मौजूदा परिस्थितियों यथा –बाजार मे मौजूद प्रतिस्पर्धी घी ब्राण्डों की विक्रय दरें एवं बाजार का रूख, घी का स्टॉक, घी की आयु अर्थात एक्सपायरी दिनांक की निकटतता, दुग्ध संकलन की मात्रा, दुग्ध विक्रय की मात्रा, अधिशेष दूध एवं उससे घी का उत्पादन, दुग्ध संकलन का ट्रेण्ड, आगामी दिनों मे दुग्ध एवं घी की मांग, घी का सम्भावित उत्पादन, घी की सम्भावित मांग, दुग्ध संघो एवं आरसीडीएफ की वर्किंग केपिटल रिक्वायरमेंट एवं लिक्विडिटी की स्थिति आदि को ध्यान मे रखते हुए घी की दरों में वृद्धि/कमी महाप्रबन्धकों की समिति द्वारा गुण–अवगुण पर चर्चा के पश्चात अनुशंषा की जाती है, जिसे प्रबन्ध संचालक महोदय आरसीडीएफ की स्वीकृती के पशचात् लागू किया जाता है। आरसीडीएफ की विपणन शाखा द्वारा समय समय पर महाप्रबन्धकों की कमेटी को उक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराया जाता है। घी का स्टॉक, घी की आयु अर्थात एक्सपायरी दिनांक की निकटतता, दुग्ध संकलन की मात्रा, दुग्ध विक्रय की मात्रा, अधिशेष दूध एवं उससे घी का उत्पादन, दुग्ध संकलन का ट्रेण्ड, आगामी दिनों मे दुग्ध एवं घी की मांग, घी का सम्भावित उत्पादन, घी की सम्भावित मांग, बाजार मे मौजूद प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों की विक्रय दरें एवं बाजार का रूख, दुग्ध

रेट कम होने का फायदा अब सीधे डीलर्स और व्यापारी को मिलेगा। आधा एक और पांच लीटर पैकिंग पर रेट कम होने का फायदा तो उपभोक्ताओं को होता, लेकिन अधिकारियों ने 15 किलोग्राम टिन और बल्क में खरीदने वालो के लिए स्कीम लांच की गई।	संघो एवं आरसीडीएफ की वर्किंग केपिटल रिक्वायरमेंट एवं लिक्विडिटी की स्थिति आदि के बारे मे अवगत कराया जाता रहा है। यह कथन भी गलत है। दिनांक 11.07.2018 से दिसम्बर, 2017/जनवरी, 2018 मे उत्पादित 15 किलोग्राम घी टीन की उपभोक्ता दर मे ही रू. 41/– प्रतिकिलोग्राम की कमी की गई है जिसका फायदा सीधा उपभोक्ता को ही होगा। चूंकि दिसम्बर, 2017/जनवरी, 2018 मे उत्पादित घी की मात्रा अधिक थी व यह समस्त घी स्टॉक 15 किलोग्राम टीन मे ही था तथा उपरोक्त उपभोक्ता दर मे की गई कमी से भी यह स्टॉक विक्रय सम्भावित नही था। अतः कमेटी द्वारा विचार कर दिनांक 11.07.2018 से उपरोक्त घी स्टॉक्स की एक मुश्त 50 मै.टन या उससे अधिक की बिक्री Open to Trade (खुली बिक्री) करते हुये उसकी दर रू. 320/– प्रतिकिलोग्राम समस्त कर सहित, एक्स डेयरी डॉक निर्धारित की गई।
रेट कम करने से सबसे ज्यादा घाटा जयपुर डेयरी को हुआ। जयपुर डेयरी – रू. 14 करोड अजमेर डेयरी – रू. 4.5 करोड अलवर डेयरी – 250 मै.टन से 2 करोड का घाटा कोटा डेयरी –100 मै.टन से 64 लाख का घाटा अकेले जयपुर डेयरी के पास दिसंबर –जनवरी का 2050 मै.टन घी पडा है। अजमेर डेयरी के पास 700 मै.टन पडा हुआ है।	यह घाटे की गणना खयाली (notional) है। [illegible]
स्टॉक क्लीयर करने की प्लांनिग करना ही भूल गए डेयरी अफसर आरसीडीएफ की मार्केटिंग शाखा के अधिकारियों को घी के स्टॉक को देखते हुये बेचने की प्लानिंग करनी थी। इसके लिए डिलर्स को टारगेट दिया जाता। मार्केट के हिसाब से घी की रेट तय की जाती। टारगेट पूरा नही करने वाले डिलर्स के खिलाफ	यह खबर पूर्णतया निराधार है कि आरसीडीएफ की विपणन शाखा द्वारा कोई प्लानिंग नही की गई। आरसीडीएफ के विपणन अनुभाग द्वारा समय समय पर निम्नानुसार महाप्रबन्धकों की कमेटी को बाजार मे मौजूद प्रतिस्पर्धी घी ब्राण्डों की विक्रय दरें एवं बाजार का रूख, घी का स्टॉक, घी की आयु अर्थात एक्सपायरी दिनांक की निकटतता, दुग्ध संकलन की मात्रा, दुग्ध विक्रय की मात्रा,

कार्यवाही की जाती। शादी–समारोह और त्यौहार के समय डीलर्स की अपेक्षा उपभोक्ताओं को स्कीम दी जाती। लेकिन अधिकारियों ने इसके विपरीत काम किया। डीलर्स से मिल गए। डीलर्स को टारगेट नही दिया।	अधिशेष दूध एवं उससे घी का उत्पादन, दुग्ध संकलन का ट्रेण्ड, आगामी दिनों मे दुग्ध एवं घी की मांग, घी का सम्भावित उत्पादन, घी की सम्भावित मांग, दुग्ध संघो एवं आरसीडीएफ की वर्किंग केपिटल रिक्वायरमेंट एवं लिक्विडिटी की स्थिति आदि को ध्यान मे रखते हुये दरों मे कमी करने की अनुशंसा की गईः दिनांक 18.01.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा बाजार मे प्रचलित अन्य घी ब्राण्डों के समान घी दरों मे कमी करने की अनुशंसा की। कमेटी ने दरों को निरन्तर रखने की अनुशंसा की। प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ द्वारा उक्त के क्रम मे आगामी पी.सी. मिटिंग मे चर्चा हेतु कहा। दिनांक 31.01.2018 को पी.सी. मिटिंग मे घी की विक्रय दरों के क्रम मे हुई चर्चा मे कुछ दुग्ध संघो के प्रबन्ध संचालकों ने भी कहा की हमारी विक्रय दरें बाजार मे प्रचलित अन्य ब्राण्डों से अधिक है। घी की दरों मे कोई परिवर्तन नही किया गया। दिनांक 06.02.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा घी दरों मे बाजार की दरों के अनुसार कमी करने की अनुशंसा की गई। कमेटी ने दिनांक 07.02.2018 से घी के समस्त पैक साईजों मे रू. 20/– प्रतिकिलोग्राम/लीटर कमी करने की अनुशंसा की। प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ की सहमती के पश्चात उक्त के क्रम मे आदेश जारी किये गये। दिनांक 13.03.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा घी दरों की समीक्षा हेतु अनुशंसा की गई। उक्त की चर्चा प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ की अध्यक्षता मे हुई बैठक दिनांक 15.03.2018 जिसमे अन्य समस्त अनुभागाधिकारी भी मौजूद थे मे की गई। घी की दरों मे कोई कमी नही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 06.04.2018 को महाप्रबन्ध(विपणन), आरसीडीएफ, प्रबन्ध संचालक, भीलवाडा एवं अलवर दुग्ध संघ ने घी के सभी पैक साईजों मे रू. 30/– प्रतिकिलोग्राम / लीटर की कमी की अनुशंसा की। घी की दरों मे कोई परिवर्तन नही किया गया। वित्तिय सलाहकार, आरसीडीएफ ने प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ से चर्चा की एवं

	प्रबन्ध संचालक आरसीडीएफ द्वारा समस्त जिला दुग्ध संघो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालकों से उनकी राय लिखित मे प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 16.04.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा बाजार मे प्रचलित अन्य घी ब्राण्डों के समान घी दरों मे कमी करने की अनुशंसा की गई व कहा गया की वर्तमान मे घी की दरों मे कमी करना एक अच्छा विकल्प है बजाय इसके की भविष्य मे स्कीम लांच की जावे। वित्तिय सलाहकार द्वारा घी की दरों मे रू. 25 प्रतिकिलोग्राम/लीटर की कमी करने की अनुशंसा की गई जबकि बाकी सभी कमेटी मेम्बर्स ने कन्ज्यूमर पैक मे रू. 30/- प्रतिलीटर एवं 15 किलोग्राम मे रू. 40/- प्रतिकिलोग्राम की कमी की अनुशंसा की। प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा रू. 25/- प्रतिकिलोग्राम /लीटर सभी पैक साईजो मे कमी की स्वीकृती दी गई। दिनांक 30.04.2018 को हुई पी.सी. मिटिंग मे महाप्रबन्धक(विपणन) ने घी की समग्र स्थिति से अवगत कराते हुये हाउस के सामने घी की विक्रय दरों को बाजार मे प्रचलित अन्य घी ब्राण्डो के समान करने का प्रस्ताव रखा जिसको अस्वीकृत कर दिया गया। दिनांक 10.05.2018 को महाप्रबन्धक, विपणन एवं प्रबन्ध संचालक, भीलवाडा दुग्ध संघ द्वारा घी स्टॉक्स एवं उनकी घी की आयु के मध्यनजर जोर देकर कहा गया कि समय रहते दिसम्बर 2017 के 15 किलोग्राम टीन के घी डिस्पोजल हेतु घी की दरों मे कमी किया जाना उचित होगा। परन्तु कमेटी ने कहा की जयपुर दुग्ध संघ अपने पुराने घी के स्टॉक्स के निस्तारण हेतु ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करे। दिनांक 17.05.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा घी स्टॉक्स के सम्बन्ध मे समग्र स्थिति से अवगत कराते हुये अनुशंसा की गई कि घी की दरों मे कमी की जावें व साथ ही दिसम्बर माह के घी हेतु एक स्कीम भी लागू की जावें। कमेटी द्वारा अनुशंसा की गई की नवम्बर/दिसम्बर, 2017 के 15 किलोग्राम घी टीनो पर इन्टर युनियन मार्जिन

को रू. 7/– प्रतिकिलोग्राम से बढाकर रू.40/– प्रतिकिलोग्राम कर दिया जावे। दरों में कोई कमी नही की गई।

दिनांक 21.05.2018 को दुग्ध संघो द्वारा दुग्ध समितियों पर घी विक्रय हेतु इंसेटिव स्कीम की सूचना के साथ घी स्टॉक्स की समग्र स्थिति विपणन अनुभाग द्वारा कमेटी के समक्ष प्रेषित की गई। कमेटी द्वारा चर्चा उपरान्त जैसा की जयपुर दुग्ध संघ द्वारा चाहा गया था, अनुशंसा की गई की माह नवम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2018 के 15 किलोग्राम घी टिन की दर दुग्ध समितियों हेतु डिस्ट्रीब्यूटर दर से रू. 20/– प्रतिकिलोग्राम कम कर दी जावे। प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृती उपरान्त उक्त के आदेश जारी कर दिये गये।

दिनांक 07.06.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा कमेटी को बताया गया की वर्तमान मे सरस घी की दरें अन्य प्रचलित ब्राण्डों से प्रति टीन लगभग रू. 1000/– एवं कन्ज्यूमर पैक मे रू. 40/– से 65/– प्रतिलिटर अधिक है। महाप्रबन्धक विपणन/कृषक संगठन/प्रशासन द्वारा रू. 40/– प्रतिकिलोग्राम /लीटर की कमी की अनुशंसा की गई। अन्य कमेटी सदस्यों मय प्रबन्ध संचालक, जयपुर दुग्ध संघ द्वारा रू. 20/– प्रति किलोग्राम/लीटर की कमी की अनुशंसा की गई। प्रबन्ध संचालक आरसीडीएफ द्वारा रू. 20/– प्रतिकिलोग्राम/लीटर की स्वीकृती दी गई। प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृती उपरान्त उक्त के आदेश जारी कर दिये गये।

दिनांक 03.07.2018 को कमेटी मे चर्चा की गई की नवम्बर/दिसम्बर 2017 के 15 किलोग्राम पैकिंग के घी की दर रू. 344/– प्रतिकिलोग्राम कर दी जावे व साथ ही उक्त घी हेतु Open to trade (खुली बिक्री) लागू कर न्यूनतम 50 मै.टन क्रय करने पर उक्त की दर रू. 320/– प्रतिकिलोग्राम कर सहित कर दी जावें। कमेटी के सदस्यों मे सहमति नही होने के कारण कोई निर्णय नही किया जा सका।

	दिनांक 10.07.2018 को विपणन अनुभाग द्वारा पुनः बुलाई गई कमेटी बैठक मे चर्चा उपरान्त कमेटी द्वार अनुशंसा की गई की दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के 15 किलोग्राम पैकिंग के घी की दर रू. 344/– प्रतिकिलोग्राम कर दी जावे व साथ ही उक्त घी हेतु ओपन ट्रेड राज्य एवं राज्य के बाहर न्यूनतम 50 मै.टन क्रय करने पर सभी के लिये रू. 320/– प्रतिकिलोग्राम कर सहित कर दी जावें। प्रबन्ध संचालक महोदय आरसीडीएफ की स्वीकृती उपरान्त उक्त के सम्बन्ध मे आदेश जारी कर दिये गये।